कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-365/2023 दिनांक-15.11.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना दीदारगंज

पिकअप पर लदे 03 मवेशी के साथ 01 गो तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 14.11.023 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम विहटा में शारदा चौहान के मकान के पास कुछ व्यक्ति पशुओ को पिकअप पर लाद कर ले जाने वाले है इस सूचना पर पुलिस टीम के पहुचने पर मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को जो कि चालक सीट पर वैठा था पुलिस टीम द्वारा पकड लिया गया पकडे गय़े व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम जूवैर S/O इस्ताकु निवासी मेहियापार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ बताया तथा भागे हुये साथी का नाम दिलशाद S/O मोहम्मद ग्राम मेहियापार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ तथा एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात वताया। बरामद पिकप से 3 गोवंश बरामद हुए । जूवैर S/O इस्ताकु निवासी मेहियापार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ को समय 22.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 300/23 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जुवैर पुत्र इस्ताकु निवासी मेहियापार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ।

बरामदगी- 01 पिकअप व 03 गोवंश

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 अखिलेश कुमार मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- जहानागंज

चोरी गये मोटरसाइकिल तथा अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.11.23 को वादी मुकदमा रवि कुमार पुत्र अच्छेलाल ग्रा0 गम्भीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर सूचना दिया कि दिनांक 16/05/023 को शादी मे अपनी बाइक HF Delux ECO से ग्राम अबदोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ आये थे जहाँ से उनकी बाईक चोरी हो गयी जिस सम्बन्ध में मु0अ0स0 504/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक15.11.2023 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त इन्द्रजीत कुमार पुत्र महेश राम निवासी मसुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को धनहुआ पेट्रोल पंम्प के कुछ दूरी पहले समय करीब 3.05 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल HF Delux ECO , 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 506/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 504/23 धारा 379/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0स0 506/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- इन्द्रजीत कुमार पुत्र महेश राम निवासी मसुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1. 01 मोटरसाईकिल UP 50 AJ 1665 HF Delux ECO
2. 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1- उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

दुष्कर्म करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 13.11.2023 पीड़िता की माँ ने थाना मेंहनगर पर लिखित सूचना दिया कि एक बाल अपचारी द्वारा मेरी बेटी जिसकी उम्र 7 बर्ष है जो कि दरवाजे पर खेल रही थी उसे बुलाकर मेला घुमाने के नाम पर लेकर गया तथा गाँव के कब्रिस्तान में ले जाकर दुष्कर्म किया जिसकी सूचना उसके पिता को देने पर उसके पिता द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया गया, तथा धमकी दिये जिस सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर मु.अ.सं. 489/23 धारा 376AB/504/506 भा0द0वि0 व 5M/6 POCSO ACT पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 15.11.2023 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित बाल अपचारी ग्राम देवईत के कब्रिस्तान के निकट स्थित टावर के पास से 09.45 बजे पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया , जिस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 489/23 धारा 376AB/504/506 भा0द0वि0 व 5M/6 POCSO ACT थाना मेहनगर , आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- अपचारी किशोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिह , का0 हिमान्शु गिरी , का0 सुरेन्द्र प्रताप कन्नौजिया, का0 श्रीचन्द मौर्य, म0 का0 सुमन यादव थाना मेंहनगर आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

फेसबुक पर आपत्तिजनक एवं धार्मिक टिप्पणी करने वाला अभियुक्त प्रेमपाल गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक- 13.9.23 को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुयी कि प्रेमपाल राम बौध नामक व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक पर विशेष धर्म के देवी देवताओं के विरूद्ध आपत्तिजनक एवं धार्मिक टिप्पणी प्रसारित किया जा रहा था , जिससे आम जनता मे क्षोभ था तथा समाज में जातीय एंव धार्मिक उन्माद फैलाने व शान्ति व्यवस्था बाधित करने के आशय से इसके द्वारा पोस्ट किया जा रहा था। जिसके आधार पर तत्कालिन प्र0नि0 कोतवाली राजकुमार सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 526/23 धारा 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनाकं 15.11.2023 को नि0अ0 रफी आलम मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र सोनपाल निवासी खजूरी निवासी खजूरी थाना परौर जिला शाहजहांपुर हाल पता ग्राम भटौली थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जुनैदगंज चौराहे से समय 14.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके कब्जे से 01 मोबाईल फोन vivo y22 टच स्क्रीन रंग आसमानी बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 605/23 धारा 66डी आईटी एक्ट व 295ए भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 605/23 धारा 66डी आईटी एक्ट व 295ए भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 526/2023 धारा 66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-प्रेमपाल पुत्र सोनपाल निवासी खजूरी निवासी खजूरी थाना परौर जिला शाहजहांपुर हाल पता ग्राम भटौली थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः- 01 मोबाईल फोन vivo y22 टच स्क्रीन रंग आसमानी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

नि0अ0 रफी आलम थाना कोतवाली आजमगढ़

उ0नि0 मो0 अबूशाद अहमद प्रभारी साइबर सेल आजमगढ़।

का0 सत्येन्द्र यादव, साइबर सेल आजमगढ़।

का0 राहुल सिंह, साइबर सेल आजमगढ़